निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 615/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आवास फाईनेंशियर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 201–202 फ्लोर साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रामनिवास यादव पुत्र श्री प्रभुदयाल यादव
   निवासी :– ग्राम मोहनपुरा, कोटपूतली, जयपुर मोहनपुरा, जयपुर।
   एवं 1/2, पार्ट ऑफ प्लाट नम्बर 74–75, एवं 90–91, ग्राम मोहनपुरा, (खसरा नम्बर 05/0.91) तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
   एवं पट्टा नम्बर 1646, खसरा नम्बर 198, प्लॉट नम्बर 2, ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील कोटपूतली, जयपुर।
2. श्रीमती बंसती देवी पत्नी श्री रामनिवास यादव
   निवासी :– वार्ड नम्बर 2, ग्राम मोहनुपुरा, कोटपूतली, जयपुर।
3. श्री अंकित यादव पुत्र श्री रामनिवास यादव
   निवासी :– वाया पोस्ट मोहनपुरा, कोटपूतली, जयपुर।
4. श्री पवन कुमार पुत्र श्री अमर सिंह
   निवासी :– मोहनपुरा, कोटपूतली, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थितः– श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 19.06.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.10.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रामनिवास यादव के स्वामित्व की संपत्ति प्लाट नम्बर 74–75 का 1/2 हिस्सा, एवं प्लाट नम्बर 90–91 ग्राम मोहनपुरा (खसरा नम्बर 05/0.91) तहसील कोटपूतली, कुल क्षेत्रफल 600 वर्गगज एवं पट्टा नम्बर 1646, खसरा नम्बर 198, प्लाट नम्बर 2, ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर क्षेत्रफल 284.62 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 35,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.03.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 35,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 35,78,242/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.03.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रामनिवास यादव के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लाट नम्बर 74–75 का 1/2 हिस्सा, एवं प्लाट नम्बर 90–91 ग्राम मोहनपुरा (खसरा नम्बर 05/0.91) तहसील कोटपूतली, कुल क्षेत्रफल 600 वर्गगज एवं पट्टा नम्बर 1646, खसरा नम्बर 198, प्लाट नम्बर 2, ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर क्षेत्रफल 284.62 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner